

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश वाराणसी।
उपस्थित :- देवाशीष (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
म्युटेशन अपील संख्या 02/2018

- 1:- मुस्ताक अहमद पुत्र मोइनुददीन मरहूम
- 2:- हसनैन पुत्र मोइनुददीन मरहूम
- 3:- अशरफ पुत्र मोइनुददीन मरहूम

साकिनान मकान नम्बर जे 1/130-ए मोहल्ला शेषमन बाजार वार्ड जैतपुरा शहर वाराणसी।

-----अपीलार्थीगण ।

बनाम

- 1:- नगर निगम वाराणसी जरिये जोनल अधिकारी आदमपुर जोन वाराणसी।
- 2:- बशीरुददीन पुत्र अब्दुल मतीन मरहूम साकिन मकान नम्बर जे 5/25ए मोहल्ला अमानुल्लापुरा वार्ड जैतपुरा वाराणसी।
- 3:- अमीनुददीन पुत्र अब्दुल मतीन मरहूम साकिन मकान नम्बर जे 5/21के मोहल्ला अमानुल्लापुरा वार्ड जैतपुरा वाराणसी।

-----विपक्षीगण ।

पत्रावली वास्ते आदेश सन्धिपत्र कागज संख्या 12ग/1 लगायत 12ग/9 नियत है। सन्धिपत्र पर पूर्व में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना जा चुका है।

निस्तारण सन्धिपत्र कागज संख्या 12ग :-

सन्धिपत्र कागज संख्या 12ग/1 लगायत 12ग/3 अपीलार्थीगण व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि भवन संख्या जे 1/130ए के जुज भाग की निलामी दिनांक 01.12.1994 व इसकी पुष्टि दिनांक 11.05.2009 को होकर प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में विक्रय प्रमाणपत्र दिनांकित 18.05.2009 जारी कर मालिक घोषित किया गया था। उपरोक्त विक्रय प्रमाणपत्र के आधार पर दिनांक 22.06.2013 को नगर निगम वाराणसी के समक्ष नामान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिनांक 13.10.2017 को भवन संख्या जे 1/130ए व भवन संख्या जे 1/111 पर दर्ज किये जाने के साथ साथ प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। भवन संख्या जे 1/130 ए के जुज हिस्से को प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये निलामी क्रय शुदा में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा रकबा 771.76 वर्गफीट में से आधा रकबा 385.88 वर्गफीट प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 21.07.18 को जरिये पंजीकृत बैनामा अपीलार्थी को मालिक व काबिज दखील करा दिया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा भी अपना आधा हक व हिस्सा रकबा 385.88 वर्गफीट दिनांक 11.08.19 को जरिये पंजीकृत बैनामा अपीलार्थीगण के हक में कर मालिक काबिज व दखील करा दिया है। उपरोक्त विक्रय के उपरान्त प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 का वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना की गयी है कि पंजीकृत बैनामा दिनांक 21.07.18 व पंजीकृत बैनामा दिनांक 08.11.19 के आधार पर अपीलार्थीगण व उनके दो भाईयों का नाम वादग्रस्त भवन पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

मैंने पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण व विपक्षीगण द्वारा सन्धिपत्र प्रस्तुत किया गया है। सन्धिपत्र पर उभयपक्षों के फोटो तथा हस्ताक्षर को उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रमाणित किया गया है। सन्धिपत्र विधिक है तथा स्वच्छता से प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत अपील का निस्तारण सन्धिपत्र के आधार पर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत अपील सन्धिपत्र कागज संख्या 12ग/1 लगायत 12ग/3 के आधार पर निर्णीत की जाती है। सन्धिपत्र निर्णय का अंश होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सन्धिपत्र की शर्तें केवल पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्राविधान लागू हुए बिना सन्धिपत्र के आधार पर किसी प्रकार से सम्पत्ति का अन्तरण नहीं होगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक :- 14.12.2019

(देवाशीष)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

उपरोक्त सन्धिपत्र पर आधारित निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक :- 14.12.2019

(देवाशीष)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।